न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –155/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/185

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री लाड मोहम्मद पुत्र गुलाब मोहम्मद,जाति–तेली, निवासी– मूण्डवा, तहसील –मूण्डवां जिला–नागौर, राजस्थान।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,मूण्डवा

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री पवन वैष्णव उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.01.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,मूण्डवां द्वारा प्रकरण संख्या 27/2023 अन्वान सरकार बनाम लाड मोहम्मद में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से वकील श्री पवन वैष्णव उपस्थित हुवे। प्रकरण में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र पर वकील उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान वकील अपीलांट का तर्क हैं कि अपीलांट को जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को यह कहा गया कि प्रकरण में निर्णय होने पर उनको सूचना दे दी जायेगी इसलिए तारीख पेशीयों पर उपस्थित नहीं हुआ था। निर्णय जैर अपील की सूचना अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई। दिनांक 16.08.2024 को पटवारी हल्का मौका पर आकर अपीलांट को मौके से बेदखल की धमकी दी तब जाकर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 16.08.2024 को सम्पर्क किया एवं नकल दिनांक 20.08.2024 को प्राप्त होने पर निर्णय जैर अपील की जानकारी अपीलांट को हुई। जानकारी से अपील अन्दर मयाद पेश की गई हैं। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में हमने अपीलांट का शपथ–पत्र पेश किया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट एवं उनके अभिभाषक को निर्णय की जानकारी शुरू से ही थी परन्तु जान बुझकर यह अपील विलम्ब से पेश की गई हैं। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी प्रार्थना–पत्र में वर्णित नहीं किया गया हैं। इसलिए अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुवे अपील अपीलांट न्यायहित में अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

कलक्टर नागौर

वकील उभय पक्षकारान की मूल अपील पर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का दोराने बहस कथन हैं कि पटवारी हल्का मूण्डवा द्वारा दिनांक 17.05.2023 को अप्रार्थी अपीलांट के खिलाफ रिपोर्ट इस आशय की पेश की हैं कि अप्रार्थी ने मौजा मूण्डवा के खसरा नम्बर 627 रकबा 0.0200 है0 गै0मु0 रास्ते पर पक्की दीवार मय टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में हमारे विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रकरण में अपीलांट ने उपस्थित होकर अपना जबाब फाईल किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू0अभिलेख निरीक्षक मूण्डवा को दिनांक 16.06.2023 को पुनः मौके की जांच करने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को बिना सुने एक पक्षीय ओदश पारित करते हुए मौके से बेदखल करने का व रूपये 06/–शास्ति राशि से दण्डित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के खिलाफ हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का जिसने अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की थी के न तो बयान लेखबद्ध किये,न ही पटवारी से कोई पूछताछ की तथा न ही अप्रार्थी को जिरह करने का कोई अवसर दिया गया और अपीलांट को गवाह आदि पेश करने का अवसर नहीं दिया और न ही सुनवाई की गई और न ही अपीलांट को पुनः जबाब पेश करने का अवसर दिया गया तथा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि पटवारी हल्का ने गांव की राजनैतिक पार्टी बाजी की वजह से झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार की हैं,क्योंकि अप्रार्थी अपीलांट ने गै0मु0 रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं बल्कि जिस जगह अपीलांट का कब्जा बताया जा रहा हैं वहां पर अपीलांट स्वयं के खातेदारी की भूमि हैं तथा पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान करवाकर सीमा माठ कायम करने का भी निवेदन किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीमाज्ञान करवाये मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या व झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करने में कानून रूप से बड़ी भारी भूल की गई हैं। खसरा नम्बर 627 गै0मु0 रास्ता हैं जिस पर अतिक्रमण होना बताया गया उस भूमि पर पीढ़ियों पुराना अपीलार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई रहती चली आ रही हैं तथा उक्त ढाणी पूर्ण रूप से अपीलांट के कब्जा सुदा व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 547 में बनी हुई हैं,जो अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 547 भूमि का ही भाग हैं,जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीमांज्ञान किये व बिना अपीलार्थी की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाए बिना उक्त बेदखली का आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं,जो बिना ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये पारित किया गया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन था कि मौका पर मौजूद रास्ता पर्याप्त चौड़ाई में हैं तथा रास्ता मौके पर सकड़ा नहीं हैं। अपीलांट का रास्ता की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हैं। हमारी ढाणी के आगे बिजली का खम्बा लगा हुआ हैं

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

तथा ढाणी खम्बे के हद तक हैं। रास्ता का नाप चौप नहीं किया गया हैं एवं न ही सीमाज्ञान किया गया हैं। मौका पर रास्ता अन्य दूसरे पाड़ौसी ने सकड़ा किया हैं। बिना नाप चौप किये यह कैसे कहा जा सकता हैं कि रास्ता सकड़ा हमने ही किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय में हमारे हस्ताक्षर आगे मौका दिये जाने के करवाये गये थे परन्तु आदेशिका में कब्जा हटाये जाने के हस्ताक्षर होना बताकर आदेशिका लिखी गई हैं,जो सरासर झूठी हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में बिना किसी प्रकिया अपनाये बिना कोई नाप चौप किये आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं,जो न्यायिक प्रकिया के विपरित किया गया हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज किया जावें।

विद्वान राजपेरोकार का बहस में तर्क हैं कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से पटवारी हल्का द्वारा बाद जॉच उनके विरूद्व न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा में प्रकरण दर्ज करवाया हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा मानते हुवे बेदखली एवं जुर्माना का आदेश पारित किया हैं,जो विधिक प्रकिया अपनाते हुवे आदेश पारित किया गया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का मूण्डवा एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,मूण्डवां ने तहसीलदार को इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि श्री लाड मोहम्मद पुत्र श्री गुलाब मोहम्मद,जाति–तेली,निवासी–मूण्डवां ने ग्राम मूण्डवां के खसरा नम्बर 627 रकबा 0.0200 हैं0 किस्म जमीन गै.मु. रास्ता पर सम्वत् 2080 से अनाधिकृत कब्जा द्वारा पक्की दिवार मय टिन सेड करके कर रखा हैं। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं दिनांक 31.05.2023 को उपस्थित हुवे तथा जबाब प्रस्तुत कर उनके द्वारा प्रश्नगत खसरे पर स्वयं का कब्जा नहीं होना प्रकट किये जाने पर पुनः आदेशिका दिनांक 31.05.2023 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत खसरे की वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी हल्का ने पुनः अपनी रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 12.07.2023 को पेश कर यह निवेदन किया कि मौजा मूण्डवां के खसरा नम्बर 627 किस्म गै0मु0 रास्ता का पुनः मौका देखा गया। मौके पर लाड मोहम्मद पुत्र गुलाब मोहम्मद जाति तेली निवासी–मूण्डवां का रकबा 0.02 है0 पर पक्की दिवार व टीन सेड बनाकर अनाधिकृत कब्जा मौजूद हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रगट हैं कि अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान किया गया हैं।

पत्रावली के संलग्न टी0पी0 रिपोर्ट अनुसार गैर सायल द्वारा मौजा मूण्डवा के खसरा नम्बर 627 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण किया हैं। गै0मु0 रास्ता की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होती हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना ही न्यायोचित प्रकिया होती हैं। इस प्रकरण में विद्वान वकील

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अपीलांट का यह कथन रहा हैं कि रास्ता मौके पर चालू हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय का यह मत हैं कि केवल मात्र रास्ता मौके पर चालू होने मात्र से अवैध किये गये अतिक्रमण को वैध नहीं माना जा सकता हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुवे निर्णय जैर अपील पारित किया हैं,जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अपीलांट ने अतिक्रमीत भूमि उनके स्वामित्व की होने के सम्बन्ध में न तो अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज पेश किये हैं एवं न ही अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति के पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर